FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

छिन्द्र कौर बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा 88 आरटीए, 136 एल आर एक्ट नम्बर 219 सन् 2022

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.12.2022	वादिया छिन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 41 एफ तहसील श्रीकरणपुर ने वादपत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955, 136 राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम–1956 पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। उक्त प्रकरण के संबध में रिपोर्ट हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को पत्र लिखा जावे। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 09.01.2023 को पेश हो।	
९/१/२३	वादी अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट TDR KDR प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट दिनांक २५/०१/२३ को पेश हो	
२५/०१/२३	वादी अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट TDR KDR प्राप्त हुई शामिल मिसल की गई। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक ३०/०१/२०२३ को पेश हो।	
३०/०१/२३	वादी अधिवक्ता उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। यथा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख अधिकारी

श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 219/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. छिन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 41 एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू- 05.12.2022

उपस्थितः 1.श्री जसकरन गोदारा अधिवक्ता वादिया

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक : 30.01.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 41 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 25/25 के मुरब्बा नम्बर 3, 6, 13, 14, 39/9 की कुल 5.639 हेक्टैयर भूमि में वादिया के नाम 0.390 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी रिकॉर्ड में वादिया का नाम सुरेन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह जाति जटसिख दर्ज है। जबकि वादिया का वास्तविक सही नाम छिन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह है। वादिया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास, बैंक पास बुक में नाम छिन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह दर्ज है। राजस्व अभिलेख में वादिया के नाम में भिन्नता होने के कारण, वादिया को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की वारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। उक्त संशोधन के लिए वादी ने तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर व अन्य राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो के समक्ष निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवाने हेतु हिदायत दी। इस कारण वाद-हेतुक की उत्पति से वाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 41 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 25/25 के मुरब्बा नम्बर 3, 6, 13, 14, 39/9 की कुल 5.639 हेक्टैयर भूमि में क्रम संख्या 11 पर अंकित नाम सुरेन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह के स्थान पर छिन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह किए जाने के आदेश दिए जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 91 दिनांक 12.01.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 41 एफ की जमावन्दी के खाता संख्या 25 के मुरब्बा नम्बर 3,6,13,111,39/9 की कुल 5.639 हेक्टैयर भूमि में से छिन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह 0.561 हेक्टैयर तथा सुरेन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह के नाम 0.390 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि छिन्द्र कौर व सुरेन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह दोनों एक ही औ[illegible]का नाम छिन्द्र कौर उर्फ सुरेन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह किया जाना उचित [illegible]

बहस सुनी गई व [illegible] वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर [illegible] अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। [illegible]सके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 41 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 25/25 की प्रति, चक 41 एफ के इन्तकाल संख्या 75 दिनांक 21.05.1982 की प्रति, चक 41 एफ के इन्तकाल संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

171 दिनांक 21.06.2000 की प्रति, मूल निवास की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादिया द्वारा चक 41 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 25/25 में क्रम संख्या 11 पर दर्ज नाम सुरेन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह के स्थान पर छिन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह अंकित करवाने बाबत निवेदन किया है। वादिया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास, बैंक पास बुक में नाम छिन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह अंकित है। रिपोर्ट तहसीदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 41 एफ की जमाबन्दी के खाता संख्या 25 के मुरब्बा नम्बर 3,6,13,111,39/9 की कुल 5.639 हेक्टैयर भूमि में से छिन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह 0.561 हेक्टैयर तथा सुरेन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह के नाम 0.390 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि छिन्द्र कौर व सुरेन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह दोनों एक ही औरत के दो नाम बताये गये। प्रार्थिया का नाम छिन्द्र कौर उर्फ सुरेन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादिया रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादिया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 41 एफ, पटवार हल्का 43 जीजी, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 25/25 में क्रम संख्या 4 पर दर्ज नाम छिन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह व क्रम संख्या 11 पर दर्ज नाम सुरेन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह व के स्थान पर छिन्द्र कौर उर्फ सुरेन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:02 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

छिन्द्र कौर बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नम्बर **219/2022**

निर्णय दिनांक :- 30.01.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 41 एफ, पटवार हल्का 43 जीजी, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 25/25 में क्रम संख्या 4 पर दर्ज नाम छिन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह व क्रम संख्या 11 पर दर्ज नाम सुरेन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह व के स्थान पर छिन्द्र कौर उर्फ सुरेन्द्र कौर पत्नी गुरदेव सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 30.01.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2023/42

दिनांकः 30.01.2023

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:02 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते